दिनांक 7 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे सम्मेलन कक्ष, बराद सदन, शैक्षणिक खंड आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 7 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे सम्मेलन कक्ष , बराद सदन में कार्यकरिणी परिषद की 41वीं बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. एन. सत्यनारायण डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
3.	प्रो. मनेश चौबे डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
4.	प्रो. एस.एस.महापात्र डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
5.	प्रो. एस.एस. शर्मा वरिष्ठ प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
6.	डॉ. ए.एन.शंकर सह प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
7.	श्री पी.के. दास वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
8.	श्री के.वी.एस.कामेश्वर राव कुलसचिव	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में उपस्थित रहें :

1.	प्रो. गुरमीत सिंह कुलपति पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय	-	सदस्य
9.	प्रो. बिद्युत चक्रवर्ती कुलपति विश्व-भारती	-	सदस्य

10. प्रो. एच.सी.एस. राठोर - सदस्य
    पूर्व कुलपति
    दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय

11. प्रो. इंदर मोहन कपाही - सदस्य
    प्रोफेसर एवं सलाहकार
    मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ
    महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय

निम्नलिखित सदस्य व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके और अनुपस्थिति की अनुमति मांगी:

1. श्री आर. तेलांग, आईएएस - सदस्य
    प्रधान सचिव
    शिक्षा विभाग
    सिक्किम सरकारी

12. प्रो. संजय दाहाल - सदस्य
    डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ एवं
    छात्र कल्याण डीन

श्रीमती ग्रेस डी. चेंकापा, उप कुलसचिव कार्यकारिणी परिषद को सहायता प्रदान करने हेतु उपस्थित थी।

सबसे पहले कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद की 41वीं बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया।

इसके बाद अजेंडा में उल्लेखित विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड-1
बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

का.प 41.1.1: दिनांक 27 मई 2022 को आयोजित कार्यकरिणी परिषद की 40 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 27 मई 2022 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 6 जून 2022 को सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। कार्यकारिणी परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक 27 मई 2022 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

का.प 41.1.2: दिनांक 27 मई 2022 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 40 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने कार्यकारिणी परिषद की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

शून्य

खंड - 3
अनुसमर्थित विषय

का.प 41.3.1: श्री बिनोद भट्टराई के अध्ययन अवकाश और रद्दकरण

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि श्री बिनोद भट्टराई , सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग ने दिनांक 01.09.2022 से 31.08.2024 तक दो वर्ष के अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। कुलपति ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अध्ययन अवकाश मंजूर कर लिया।

हालांकि, श्री बिनोद भट्टराई ने 29 दिनों के अध्ययन अवकाश का लाभ उठाने के बाद दिनांक 30.09.2022 को कार्यग्रहण कर लिया था। कुलपति ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यग्रहण करने और अध्ययन अवकाश की शेष अवधि को रद्द करने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

कार्यकारिणी परिषद ने श्री बिनोद भट्टराई के 29 दिनों अर्थात दिनांक 01.09.2022 से 29.09.2022 तक के अध्ययन अवकाश स्वीकार करने एवं स्वीकृत अध्ययन अवकाश की शेष अवधि को रद्द करने के संबंध में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की

का.प 41.3.2: असाधारण अवकाश के लिए डॉ. सौरभ माहेश्वरी का आवेदन

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ. सौरभ माहेश्वरी , सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग द्वारा बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, चीन में पोस्ट-डॉक्टोरल फैलोशिप लेने के लिए दिनांक 25.05.2022 से 31.12.2022 तक असाधारण छुट्टी प्रदान करने हेतु किए गए अनुरोध को नोट किया , जिसे कुलपति ने कार्यकारी परिषद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन स्वीकार किया था।

आगे उनके अनुरोध पर कुलपति ने अतिरिक्त साधारण अवकाश शुरू करने की तिथि को स्थगित करते हुए समयावधि में विस्तार किए बिना दिनांक 13.06.2022 से 31.12.2022 तक दिये गए अवकाश की मंजूरी दी।

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ. सौरभ माहेश्वरी को उपरोक्त वर्णित असाधारण अवकाश प्रदान करने की कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

का.प 41.3.3: डॉ. बी. मुथु पांडियन के विश्वविद्यालय में ग्रहणाधिकार पर कार्यमुक्त और प्रत्यावर्तन

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि कुलपति ने कार्यकारिणी परिषद के अनुसमर्थन की शर्त पर स्वीकार किए जाने के अनुसार डॉ. बी. मुथु पांडियन, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग को केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यग्रहण करने के लिए 3 महीने के ग्रहणाधिकार पर दिनांक 27.07.2022 (अपराह्न) कार्यमुक्त किया गया था।

परिषद ने यह भी नोट किया कि डॉ. बी. मुथु पांडियन ने ग्रहणाधिकार अवधि के भीतर विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग में सहायक प्राध्यापक के अपने पद पर वापस लौटने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया था। चूंकि यह अनुरोध ग्रहणाधिकार अवधि के भीतर था , इसलिए कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और डॉ. बी. मुथु पांडियन ने 20.10.2022 को दो साल की कूलिंग ऑफ अवधि के प्रावधान को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया।

कार्यकारिणीपरिषद ने 20.10.2022 को डॉ. बी. मुथु पांडियन को ग्रहणाधिकार से मुक्त करने और ग्रहनधिकार अवधि के अंदर सहायक प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय में उनकी वापसी को स्वीकार करने की कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

का.प 41.3.4: छठे दीक्षांत समारोह के लिए ड्रेस कोड

कार्यकारिणी परिषद ने दीक्षांत समारोह आदि जैसे विशेष अवसरों के लिए निर्धारित औपचारिक पोशाक के लिए हथकरघा कपड़े का उपयोग करने पर विचार करने का अनुरोध करते हुए यूजीसी की दिनांक 15.07.2015 की सलाह के अनुपालन करते हुए आगामी 6वें दीक्षांत समारोह में गाउन और हुड के उपयोग को बंद करने के कुलपति के निर्णय को नोट किया।

कार्यकारी परिषद द्वारा विभिन्न रंगों (विशेष रूप से उनके कार्यक्रमों के लिए) के गाउन और हुड के स्थान पर खादी उत्तरीय (एक ऊपरी वस्त्र) के प्रयोग से संबन्धित अधिसूचना भी नोट की गई थी। आगे कार्यकारिणी परिषद ने शैक्षणिक जुलूस के सदस्यों के लिए अलग खादी उत्तरीय के उपयोग के प्रस्ताव पर विचार किया।

कार्यकारिणी परिषद ने आगामी 6वें दीक्षांत समारोह में उपयोग होनेवाले ड्रेस कोड में गाउन और हुड के उपयोग को बंद करने के निर्णय और दिनांक 26.01.2022 को जारी अधिसूचना संख्या 139/2022 द्वारा

अधिसूचित ड्रेस कोड की पुष्टि की। कार्यकारिणी परिषद ने शैक्षणिक शोभायात्रा में भाग लेनेवाले सदस्यों के लिए अलग खादी उत्तरीय के प्रयोग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

खंड – 4
विचारार्थ एवं अनुमोदनर्थ विषय

का.प 41.4.1: शिक्षण कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शिक्षकों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीखों पर परिवीक्षा का एक वर्ष पूरा कर लिया है। उनकी परिवीक्षा की अवधि की समीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की गई है और किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी गई है।

कार्यकारिणी परिषद ने संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट के मद्देनजर प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों पर उनकी परिवीक्षा को समाप्त करने और उनकी परिवीक्षा पूरी होने की तारीख के अगले दिन से विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की पुष्टि करने का संकल्प लिया।

क्र.सं.	अधिकारियों का नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तिथि	परिवीक्षा अवधि पूरा करने की तिथि
1.	डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता	सह प्राध्यापक	27.07.2021	26.07.2022
2.	डॉ. अजय त्रिपाठी	सह प्राध्यापक	28.07.2021	27.07.2022

का.प 41.4.2: गैर-शिक्षण कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीखों पर परिवीक्षा का एक वर्ष पूरा कर लिया है। उनकी परिवीक्षा की अवधि की समीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की गई है और किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी गई है।

कार्यकारिणी परिषद ने संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट के मद्देनजर प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों पर उनकी परिवीक्षा को समाप्त करने और उनकी परिवीक्षा पूरी होने की तारीख के अगले दिन से विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की पुष्टि करने का संकल्प लिया।

क्र.सं.	अधिकारियों का नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तिथि	परिवीक्षा अवधि पूरा करने की तिथि
1.	श्रीमती ग्रेस डी. चेंकापा	उप कुलसचिव	21.01.2021	20.01.2022
2.	डॉ. सुजीत कुजूर	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	22.02.2021	21.02.2022
3.	सुश्री जुतिका गोस्वामी	हिंदी अधिकारी	21.01.2021	20.01.2022

का.प 41.4.3: शिक्षण कर्मचारियों की अनुबंध अवधि में विस्तार

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित संकाय सदस्यों का अनुबंध प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख को समाप्त हो गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग	अनुबंध समाप्त होने की तिथि
1.	प्रो. इम्तियाज गुलाम अहमद	प्रोफेसर	विधि	30.06.2022
2.	प्रो विनोद चंद्र तिवारी	प्रोफेसर	भूविज्ञान	30.06.2022
3.	श्री भाईचुंग टी.एस. भूटिया	सह प्राध्यापक	भूटिया	30.06.2022
4.	डॉ. हिस्से वांगचुक भूटिया	सहायक प्राध्यापक		30.06.2022
5.	श्री बाल बहादुर सुब्बा	सह प्राध्यापक	लिम्बु	30.06.2022
6.	श्री नोरबू छिरिंग लेप्चा	सह प्राध्यापक	लेप्चा	30.06.2022
7.	सुश्री दुक्मित लेप्चा	सहायक प्राध्यापक		30.06.2022
8.	डॉ. आर.एस.एस. नेहरू	सहायक प्राध्यापक	शिक्षा	30.06.2022

कुलपति ने उनके अनुबंध आधारित नियुक्ति को दिनांक 31.12.2022 तक के लिए बढ़ा दिया।

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 31.12.2022 तक उपरोक्त संकाय सदस्यों की अनुबंध आधारित नियुक्ति का विस्तार करने के कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की और चूंकि भर्ती में अधिक समय लगेगा , इसलिए कार्यकारिणी परिषद ने छह महीने , अर्थात दिनांक 31.12.2022 तक एक बार और अनुबंधों के विस्तार की मंजूरी दे दी।

का.प 41.4.4: अध्ययन अवकाश अवधि के विस्तार हेतु सुश्री स्वस्तिका प्रधान का आवेदन

कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि दिनांक 27.05.2022 को आयोजित परिषद की 40वीं बैठक में इसकी सिफारिश पर सुश्री स्वास्तिका प्रधान , सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग को शुरू में छह महीने अर्थात 02.05.2022 से 01.11.2022 तक के लिए अध्ययन अवकाश दिया गया था। लेकिन उसमें एक खंड लगाया गया था कि अगले छह महीनों के लिए अनुमोदन पहले छह महीनों की प्रगति पर निर्भर करेगा।

सुश्री स्वस्तिका प्रधान द्वारा प्रस्तुत अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर और अध्ययन अवकाश के विस्तार के लिए अध्यादेश के तहत पात्रता को पूरा करने पर , कार्यकारिणी परिषद ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और दिनांक 02.11.2022 से छह महीने की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान किया।

का.प 41.4.5: विश्राम अवकाश के लिए प्रो. वी. कृष्ण अनंत का आवेदन

कार्यकारिणी परिषद ने विश्राम अवकाश के मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया क्योंकि विश्वविद्यालय में यह पहला विराम अवकाश का अनुरोध था। कार्यकरणी परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि विश्राम अवकाश आवेदन को इसके संवर्धित मूल्य अथवा इस तरह के विश्राम अवकाश का अनुदान विश्वविद्यालय/विभाग के लिए कैसे फायदेमंद होगा , इस संबंध में सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए।

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि प्रो. वी. कृष्ण अनंत विश्राम अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी संस्था में कार्यग्रहण नहीं कर रहे हैं और उनका इस अवकाश का उद्देश्य " *भारत की संकल्पना* को साकार करने में एक साधन के रूप में संविधान : विधायी और न्यायिक हस्तक्षेपों का एक ऐतिहासिक विश्लेषण 1946-2020)" विषय पर शोध कार्य करना था, जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में से एक प्रो बिद्युत चक्रवर्ती ने कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को इशारा किया और सूचित किया कि वह ठीक उसी शीर्षक वाले एक शोध पत्र के लिए रेफरी थे और पुष्टि की कि उस शीर्षक पर कार्य पूरा हो गया था या आगे उस पर और कार्य करने की गुंजाइश बहुत कम था। उसी के आलोक में कार्यकारिणी परिषद ने प्रो. वी. कृष्ण अनंत द्वारा प्रस्तुत विषय पर उनके इच्छित शोध कार्य के बारे में पूछा जाना और प्रस्तावित शोध कार्य को स्पष्ट रूप से उचित ठहराना और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना सबसे अच्छा समझा। कार्यकारिणी परिषद ने संकल्प लिया कि प्रो. वी. कृष्ण अनंत यह भी विस्तार से बता सकते हैं कि कार्यकारिणी परिषद के सदस्य द्वारा दावा किया गया पूरा कार्य उससे भिन्न है या नहीं।

कार्यकारी परिषद ने कुलपति को प्रो. वी. कृष्ण अनंत के प्रस्ताव पर विचार करने और उनके विश्राम अवकाश अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए भी अधिकृत किया।

का.प 41.4.6: दिनांक 01.07.2022 के कार्यालय ज्ञापन के विरुद्ध डॉ. राम भवन यादव , सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग का अभ्यावेदन

कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 23.12.2021 को आयोजित अपनी 39वीं बैठक में निम्नलिखित दंड लगाने के अपने निर्णय के संबंध में डॉ. राम भवन यादव के मामले के तथ्यों को नोट किया:

नियम 11 (iv) के तहत यानी बिना संचयी प्रभाव के तीन साल के लिए वेतन वृद्धि रोकना के तहत मामूली जुर्माना लगाना..... । इसे तीन वर्ष की अवधि के अंत में बहाल किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, परिषद ने निम्नलिखित दंड लगाने का भी निर्णय लिया:

i) तीन साल के लिए विश्वविद्यालय में किसी भी प्रशासनिक पद या किसी समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद धारण करने से रोकना।

ii) 3 साल के लिए किसी भी एमफिल/पीएचडी की मार्गदर्शन करने से रोकना , जिसमें उनके मार्गदर्शन में उनके वर्तमान में शोध कर रहे शोधार्थी भी शामिल हैं।

डॉ. राम भवन यादव ने परिषद से अपील की कि परिषद की अनुमति के लिए उन्हें दो शोधार्थी, जैसे श्री घुनातो नेहो (17PDEN01) श्री अजयकुमार एन. (19DEN01) की थीसिस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए, जिनकी थीसिस जमा करने के लिए तैयार हैं जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है , पर चर्चा की गई और कार्यकारिणी परिषद ने अपील पर गौर करने और उनकी सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद को अग्रेषित करने के लिए अपील समिति नियुक्त करने का संकल्प लिया।

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति को अपील करने के लिए अपील समिति नियुक्त करने और कार्यकारी परिषद को वापस रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत किया।

का.प 41.4.7: विश्वविद्यालय की ग्रहणाधिकर नीति

ग्रहणाधिकार नीति को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखा गया था और परिषद ने नोट किया कि संशोधित ग्रहणाधिकार नीति में कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक में अनुमोदित के अनुसार ग्रहणाधिकर की अवधि सहित निम्नलिखित अतिरिक्त बिन्दुओं के साथ पूर्व के दिशा-निर्देशों के महत्वपूर्ण भागों को बरकरार रखा गया है।

i) ग्रहणाधिकार चाहने वाले कर्मचारी को विश्वविद्यालय में कम से कम **पांच साल** की नियमित सेवा (परिवीक्षा अवधि सहित) पूरी करनी चाहिए और

ii) ग्रहणाधिकार प्राप्त करने वाले कर्मियों की संख्या शिक्षण विभागों के मामले में कुल स्वीकृत पदों के **20%** और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मामले में कुल स्वीकृत पदों के **20%** से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्यकारिणी परिषद ने प्रस्तुत ग्रहणाधिकार नीति को स्वीकार कर लिया।

का.प 41.4.8: दीक्षांत समारोह पर अध्यादेश ओई-3 के तहत ड्रेस कोड में संशोधन

कार्यकारिणी परिषद ने यूजीसी की दिनांक 15.07.2022 की सलाह पर ध्यान दिया जिसमें दीक्षांत समारोह आदि जैसे विशेष अवसरों के लिए निर्धारित औपचारिक पोशाक के लिए हथकरघा कपड़े का उपयोग करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

तदनुसार, दीक्षांत समारोह पर अध्यादेश OE-3 के तहत ड्रेस कोड के संशोधन पर निम्नानुसार चर्चा की गई:

ओई -3

ड्रेस कोड 7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड

इसके अलावा, ड्रेस कोड पर अध्यादेश में अस्पष्टता को दूर करने के लिए ओई -3 5 iii और ओई -3 6 ii में निम्नलिखित संशोधन का सुझाव दिया गया है:

मौजूदा ओई -3 मानद उपाधि 5 iii	**संशोधित ओई -3 मानद उपाधि 5 iii**
दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थी अपनी डिग्री के अनुरूप गाउन और हुड पहनेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को दीक्षांत समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उचित दीक्षांत परिधान में उपस्थित नहीं होंगे।	दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थी अपनी डिग्री के अनुरूप **निर्धारित ड्रेस कोड में उपस्थित होंगे।** किसी भी अभ्यर्थी को दीक्षांत समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उचित दीक्षांत परिधान में उपस्थित नहीं होंगे।
मौजूदा ओई-3 दीक्षांत समारोह प्रक्रिया 6 ii.	**संशोधित ओई-3 दीक्षांत समारोह प्रक्रिया 6 ii.**
कुलाधिपति, मुख्य रेक्टर , मुख्य अतिथि , कुलपति, प्रतिकुलपति (यदि कोई हो) , कुलसचिव, वित्त अधिकारी, विद्यापीठों के डीन और विश्वविद्यालय प्राधिकरण के सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उनकी विशेष परिधान पहनेंगे और दीक्षांत समारोह कक्ष में निम्नलिखित क्रम में जुलूस में चलेंगे ...	कुलाधिपति, मुख्य रेक्टर , मुख्य अतिथि , कुलपति, प्रतिकुलपति (यदि कोई हो) , कुलसचिव, वित्त अधिकारी, विद्यापीठों के डीन और विश्वविद्यालय प्राधिकरण के सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उनकी विशेष **परिधान** पहनेंगे और दीक्षांत समारोह कक्ष में निम्नलिखित क्रम में जुलूस में चलेंगे.....

तदनुसार, पूरी तरह से विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी परिषद ने ऊपर प्रस्तावित दीक्षांत समारोह के ओई-3 में किए गए संशोधन को स्वीकार कर लिया।

का.प 41.4.9: शिक्षकों की नियुक्ति और सीएएस के लिए शोध प्रकाशन

कार्यकारिणी परिषद ने यूजीसी की दिनांक 16.09.2019 एवं दिनांक 14.06.2019 की सार्वजनिक सूचना संख्या एफ.1-1/2018 (जर्नल/केयर) पर विस्तार से चर्चा की।

इसने उपरोक्त आदेशों के आलोक में दिनांक 20.01.2021 को आयोजित परिषद की 36वीं बैठक में लिए गए अपने निर्णय की समीक्षा की और सावधानीपूर्वक निम्नानुसार समाधान किया:

1) सीधी भर्ती की स्क्रीनिंग संभावित रूप से दिनांक 14.06.2019 से की जानी है , यानी कि दिनांक 14.06.2019 के बाद की गई सभी नियुक्तियों के लिए केवल यूजीसी केयर सूची में सूचीबद्ध पत्रिका पर विचार किया जाएगा, चूंकि, सीधी भर्ती के लिए आवेदन दिनांक 14.06.2019 के बाद की तारीख में प्राप्त हुए थे और इसका प्रभाव भी बाद की तारीख से होगा।

2) हालांकि सीएएस प्रोन्नति के लिए विचार की तिथि पूर्वव्यापी प्रभाव से हो सकती है और यूजीसी केयर सूची पर 14.06.2019 से भावी प्रभाव से विचार किया जाना चाहिए , जिसमें यह दर्शाता है कि 14.06.2019 से पहले प्रकाशित कोई शोध प्रकाशन जरूरी नहीं कि सीएएस के तहत विचार के लिए गुणवत्ता पत्रिकाओं की नई यूजीसी-केयर संदर्भ सूची (यूजीसी केयर सूची) से हो , खासकर जब सीएएस के तहत पदोन्नति की तारीख होनी है यूजीसी सार्वजनिक सूचना की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया हो।

सीएएस मामलों के लिए इसे लागू करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या पहले के कोई मामले हैं जो इस निर्णय के कारण प्रभावित हो सकते हैं और तदनुसार कार्यकारिणी परिषद को रिपोर्ट करें।

खंड -5

प्राधिकारणों/समितियों के कार्यवृत्त

का.प 41.5.1: दिनांक 5 सितंबर 2022 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 5 सितंबर 2022 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया और इसे निम्नलिखित के लिए विशिष्ट अनुमोदन के साथ अनुमोदित किया:

i) सिक्किम विश्वविद्यालय और सीएसआईआर-एनईआईएसटी के बीच समझौता ज्ञापन

ii) सिक्किम विश्वविद्यालय और आईआईएम शिलांग के बीच समझौता ज्ञापन

iii) शैक्षणिक सत्र 2018-2019 , 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 से हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय में पीएचडी कार्यक्रम का नवीनीकरण। हालांकि, महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पीएचडी छात्रों का प्रवेश शुरू कर सकता है।

iv) शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए (14) महाविद्यालयों/संस्थानों/विषयों/पाठ्यक्रमों के अस्थाई संबद्धता का नवीनीकरण

v) स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण

का.प 41.5.2: दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को आयोजित वित्त समिति की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को आयोजित वित्त समिति की 33वीं बैठक के कार्यवृत्त को निम्नलिखित के विशिष्ट अनुमोदन के साथ अनुमोदित किया:

1) चरण-I के पैकेज-II (परिसर निर्माण का ताजा कार्य) के लिए चरणवार अनुदान की आवश्यकता।
2) चार छात्रावासों के निर्माण के लिए आस्थगित कार्यक्षेत्र के निर्माण को पूरा करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान चरण-I के पैकेज- II के लिए 51.23 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए धनराशि की स्वीकृति।
3) एजेंडे में प्रस्तावित के अनुसार 7 शिक्षण पदों और अतिरिक्त 89 गैर-शिक्षण पदों की आवश्यकता

खंड – 6
अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(के.वी.एस.कामेश्वर राव)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्यकारिणी परिषद

(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद